>

Title: Need to give environmental clearance for construction of sluice gate in North Koel Irrigation Project in Bihar.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) ः मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) और गया जिले के लगभग एक लाख दस हजार हेक्टेयर (110000 हे.) जमीन की सिंचाई के लिए शुरू की गई अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना में सन् 1975 में कार्य शुरू हुआ। अभी तक लगभग 800 करोड़ रूपये से भी ज्यादा राशि खर्च करके भी परियोजना अधूरी है जबकि प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रूपये थी। साथ ही स्थापना व्यय के रूप में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हो रहा है और हजारों करोड़ रूपये परियोजना को पूर्ण करने के लिए लगेंगे।

इस महत्वपूर्ण मध्यम सिंचाई परियोजना के डैम (कुटकु डैम) में लोहे के फाटक लगाने पर सन् 2007 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे डैम में पानी नहीं जमा होने के कारण बिहार और झारखंड की सवा लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई से वंचित हो रही है जिससे लगभग पांच लाख किसानों की खेती प्रभावित हो रही है। यह पूरा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित भी है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कुटकु डैम के डूब क्षेत्र में जाने वाली 6203 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में वनीकरण के लिए उतनी ही भूमि लेने के शर्त को हटाते हुए लोहे के फाटक लगाए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को अविलंब हटाया जाए जिससे इस सूखे इलाके में सिंचाई के साथ-साथ पेयजल का संकट दूर हो सके।